रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245117
CG-DL-E-12042023-245117

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945
No. 223] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

## गृह मंत्रालय

## (यूटीपी विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2023

**सं. 161/संयुक्त आयुक्त पुलिस /लाइसेंसिंग (ईडीपी) दिनांक 08.04.2023**

**सा.का.नि. 284(अ).**—चूँकि अधोहस्ताक्षरी यह आवश्यक समझते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को चलाने के लिए विनियम बनाए जाने चाहिए।

अतः दिल्ली पुलिस अधिनियम-1978 के अनुच्छेद 28 के उप-अनुच्छेद (1) के खंड (x) और (zb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

**विनियम**

1. **संक्षिप्त शीर्षक-** इन विनियमों को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान चलाने हेतु विनियम" कहा जाएगा।

2. **प्रारंभ-**ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. **प्रासंगिकता-**ये विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर लागू होंगे।

4. **परिभाषाएँ -**

   (i) **आयुक्त** का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पुलिस आयुक्त से है, जैसा कि दिल्ली पुलिस अधिनियम,1978 में परिभाषित किया गया है।

(ii) "सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान" का अर्थ है एक लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग एंड लॉजिंग हाउस या आवासीय छात्रावास और इसमें कोई भी ईटिंग हाउस या अन्य स्थान शामिल है जिसमें जनता को किसी भी प्रकार की शराब आदि (जैसे कि सराय या शॉप जहां बीयर, मादक पेय आदि की आपूर्ति की जाती है) जैसा कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अनुच्छेद 2 के खंड (एल) के तहत परिभाषित किया गया है।

(iii) 'उपयुक्त व्यक्ति' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो/जिसका:

(ए) एक वैध अनुबंध निष्पादित करने के लिए सक्षम है और जो

(बी) अपेक्षित कौशल और संसाधन रखता है, और

(सी) जिसके पूर्व चरित्र को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के माध्यम से प्रमाणित किया गया है (ए) यदि आवेदक दिल्ली का निवासी है तो दिल्ली पुलिस पीसीसी पोर्टल के माध्यम से या (बी) यदि वह दिल्ली के बाहर का निवासी है तो संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सम्बंधित सक्षम अधिकारी के माध्यम से और

(डी) अन्यथा एक अनुपयुक्त व्यक्ति नहीं है और सार्वजनिक मनोरंजन के प्रदर्शन को संचालित करने की क्षमता रखता है।

(iv) 'उपयुक्त क्षेत्र' का अर्थ है वह क्षेत्र जहां प्रदर्शन या सार्वजनिक मनोरंजन की व्यवस्था, उस क्षेत्र और उसके आसपास रहने वालो के लिए, बिना किसी गड़बड़ी और शांति और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किए बिना की जा सके।

(v) 'उपयुक्त स्थान' का अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मनोरंजन के साधनों को रखने के लिए पर्याप्त जगह हो, जहाँ पार्किंग की सुविधा (लागू नीति के अनुसार) हो और जगह को स्वच्छ रखने की व्यवस्था हो, जो यातायात के सामान्य प्रवाह को बाधित नहीं करता हो या क्षेत्र के लोगों के लिए जोखिम, खतरे, क्षति या किसी प्रकार की परेशानी का कारण नहीं बनता हो।

(vi) लाइसेंसिंग प्राधिकारी का अर्थ है पुलिस आयुक्त या पुलिस आयुक्त द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।

5. **सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का वर्गीकरण-** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक मनोरंजन के सभी स्थानों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(ए) श्रेणी 'ए' – इनमें सार्वजनिक मनोरंजन का प्रत्येक स्थान शामिल होगा जिसमें शराब, ताड़ी या किसी भी नशीले पदार्थ ऐसी जगह या उसके आसपास भोग हेतु (चाहे किसी भी नाम से) बेचे जाते हों, जैसा कि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 में परिभाषित किया गया है।

(बी) श्रेणी 'बी' – इनमें सार्वजनिक मनोरंजन के बाकी स्थान शामिल होंगे जो श्रेणी 'ए' में शामिल नहीं हैं।

6. **लाइसेंस प्राप्त करना-**

(1) कोई भी व्यक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी से इस संबंध में पहले से लाइसेंस प्राप्त किए बिना श्रेणी 'ए' या श्रेणी 'बी' के सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान नहीं खोलेगा या नहीं चलाएगा।

(2) आवेदक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल में सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान चलाने के लिए श्रेणी 'ए' या श्रेणी 'बी' लाइसेंस, जैसा भी मामला हो, के लिए आवेदन करेगा।

आबकारी विभाग द्वारा वैध आबकारी शुल्क लाइसेंस प्रदान करने की शर्त पर, विनियमन 7 से 9 के अनुसार लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। आबकारी लाइसेंस मिलने के सात दिनों के भीतर आवेदक आबकारी लाइसेंस को एकीकृत पोर्टल पर अपलोड करेगा।

7. **लाइसेंसधारी की उपयुक्तता और लाइसेंस हेतु प्रस्तावित परिसर-**

(1) सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान खोलने या चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करेगा। पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा और मूल्यांकन करेगा कि लाइसेंस के लिए आवेदक और प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित को पूरा करता है: -

(i) आवेदक उपयुक्त है,

(ii) वह क्षेत्र जहां मनोरंजन का ऐसा स्थान खोला जाना है, प्रस्तावित उद्देश्य के लिए 'उपयुक्त क्षेत्र' है,

(iii) सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान के रूप में उपयोग के लिए प्रस्तावित स्थान उस उद्देश्य के लिए 'उपयुक्त स्थान' है जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

(2) प्रत्येक लाइसेंस की यह शर्त होगी कि लाइसेंस की वैधता की पूर्ण अवधि के दौरान लाइसेंस प्राप्त परिसर के संबंध में उपरोक्त उप-नियम (1) के प्रावधान बनाए रखे जाएं।

**8. लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन -**

(1) सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान चलाने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदन जमा करने के समय आवेदक द्वारा विनियम 27 में विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा।

**(3) श्रेणी-ए के तहत लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-**

**(a) प्रधान दस्तावेज (लाइसेंसिंग डिवीजन द्वारा प्राप्त किए जायेंगे)**

(i) नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया गया हेल्थ ट्रेड लाइसेंस।

(ii) स्थानीय पुलिस और यातायात से क्षेत्र उपयुक्तता रिपोर्ट।

**(b) उप-प्रधान दस्तावेज (गृह मंत्रालय के एकीकृत पोर्टल पर आवेदक द्वारा अपलोड किए जायेंगे)**

(i) आवेदक की पहचान/आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस।

(ii) आवेदक के पते का प्रमाण (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट/ बिजली बिल/लैंडलाइन टेलीफोन बिल/ रेंट एग्रीमेंट/लीज डीड एग्रीमेंट/प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट)।

(iii) 30 दिनों की रिकॉर्डिंग सुविधा और वैध वार्षिक रख रखाव अनुबंध (एएमसी) के साथ सीसीटीवी लगाने के संबंधित दस्तावेज।

(iv) आवेदक के पक्ष में पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में निदेशक मंडल के प्रस्तावों के मामले में प्राधिकरण प्रमाण पत्र।

(v) कंपनी के मामले में निगमन प्रमाण पत्र और पार्टनरशिप फर्म के मामले में पार्टनरशिप डीड।

(vi) यदि आवेदक दिल्ली का निवासी है, तो पीसीसी पोर्टल के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा जारी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी), यदि आवेदक दिल्ली के बाहर का निवासी है तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा जारी पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र (पीसीसी)।

(vii) परिसर के स्वामित्व/किरायेदार का प्रमाण।

(viii) वैध शराब लाइसेंस (आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के सात दिनों के भीतर अपलोड किया जाना है)

(ix) फॉर्म -1 में आवेदक द्वारा एक वचनबद्धता।

**(4) लॉजिंग हाउस श्रेणी-बी के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन संसाधित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-**

**(a) प्रधान दस्तावेज (लाइसेंसिंग डिवीजन द्वारा प्राप्त किए जायेंगे)**

(i) नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया गया हेल्थ ट्रेड लाइसेंस।

(ii) स्थानीय पुलिस और यातायात से क्षेत्र उपयुक्तता रिपोर्ट।

**(b) उप-प्रधान दस्तावेज (गृह मंत्रालय के एकीकृत पोर्टल पर आवेदक द्वारा अपलोड किए जायेंगे)**

(i) का प्रमाण (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/पैन/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस)।

(ii) आवेदक के पते का प्रमाण (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ पासपोर्ट/ बिजली बिल /लैंडलाइन टेलीफोन बिल/रेंट एग्रीमेंट/लीज डीड एग्रीमेंट/प्रॉपर्टी ओनरशिप आवेदक की पहचान डॉक्यूमेंट)।

(iii) 30 दिनों की रिकॉर्डिंग सुविधा और वैध वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के साथ सीसीटीवी लगाने के दस्तावेज।

(iv) आवेदक के पक्ष में पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में निदेशक मंडल के प्रस्ताव के मामले में प्राधिकरण प्रमाण पत्र।

(v) कंपनी के मामले में निगमन का प्रमाण पत्र और पार्टनरशिप फर्म के मामले में पार्टनरशिप डीड।

(vi) यदि आवेदक दिल्ली का निवासी है, तो पीसीसी पोर्टल के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा जारी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी), यदि आवेदक दिल्ली के बाहर का निवासी है, तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा जारी पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र (पीसीसी)।

(vii) परिसर के स्वामित्व/किरायेदार का प्रमाण।

(viii) वैध शराब लाइसेंस (आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के सात दिनों के भीतर अपलोड किया जाना है)।

(ix) फॉर्म -1 में आवेदक द्वारा एक वचनबद्धता।

(c) हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने के नौ दिनों की अवधि के भीतर, आवेदक के नाम पर, या भागीदारी फर्म या कंपनी के नाम पर, जिसकी ओर से भी आवेदक ने आवेदन किया है, जैसा भी मामला हो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(d) लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास लाइसेंस देने से पहले या बाद में किसी भी समय परिसर का निरीक्षण करने का विवेकाधिकार होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपने किसी भी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जो प्रधान सिपाही के पद से नीचे का न हो, को ऐसा निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(e) अग्नि सुरक्षा, पर्यावरण मानदंड, संरचनात्मक और विद्युत सुरक्षा, आपदा प्रबंध (महामारी सहित), अन्य सुरक्षा पहलुओं अथवा अन्य कानूनों से संबंधित प्रमाण पत्र/ अनापत्ति पत्र /अनुपालनाएं जहां भी लागू हो, संबंधित

एजेंसियों के तत्कालीन कानूनों, नियमों और उपनियमों द्वारा शासित होंगे।

**9. लाइसेंस का नवीनीकरण :-**

(1) लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र के माध्यम से लाइसेंस समाप्त होने के दिन से कम से कम तीन महीने पहले ऑनलाइन किया जाएगा।

(2) **श्रेणी-ए** के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

(a) प्रधान दस्तावेज (लाइसेंसिंग डिवीजन द्वारा प्राप्त किए जायेंगे)

(i) नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया गया हेल्थ ट्रेड लाइसेंस।

(ii) स्थानीय पुलिस और यातायात से क्षेत्र उपयुक्तता रिपोर्ट।

**(b) उप-प्रधान दस्तावेज**

लाइसेंसधारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल पर प्रपत्र-1 (अनुलग्नक-1) के अनुसार वचनबद्धता अपलोड करेगा।

(3) **लॉजिंग हाउस (श्रेणी-बी) के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-**

**(a) प्रधान दस्तावेज (लाइसेंसिंग डिवीजन द्वारा प्राप्त किए जायेंगे)**

(i) नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया गया हेल्थ ट्रेड लाइसेंस।

(ii) स्थानीय पुलिस और यातायात से क्षेत्र उपयुक्तता रिपोर्ट।

**(b) उप-प्रधान दस्तावेज**

लाइसेंसधारी गृह मंत्रालय के एकीकृत पोर्टल पर फॉर्म-2 (अनुलग्नक-2) के अनुसार एक वचनबद्धता अपलोड करेगा।

(4) लाइसेंस का नवीनीकरण उस व्यक्ति के नाम पर किया जाएगा जैसा कि नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस में दर्शाया गया है।

(5) अग्निसुरक्षा, पर्यावरण मानदंड, संरचनात्मक और विद्युत सुरक्षा, आपदा प्रबंध (महामारी सहित), अन्य सुरक्षा पहलुओं अथवा अन्य कानूनों से संबंधित प्रमाण पत्र /अनापत्ति पत्र/अनुपालनाएं (जहां भी लागू हो) संबंधित एजेंसियों के तत्कालीन कानूनों, नियमों और/या उप नियमों द्वारा शासित होंगे।

(6) **लाइसेंस की वैधता:-** सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान को चलाने के लिए, एक लाइसेंस एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और यदि पहले नवीनीकरण नहीं किया गया तो तीसरे वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा।

(7) **लॉजिंग लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी:-**अगर लॉजिंग लाइसेंस खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो आवेदक लाइसेंस की एक प्रति गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है।

**10. लाइसेंस जारी करने की शर्तें -**

(ए) प्रत्येक लाइसेंसधारी लाइसेंस की उन सभी शर्तों और निर्देशों का पालन करेगा जो समय-समय पर पुलिस आयुक्त और/या लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

(बी) लाइसेंस निर्धारित शर्तों के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में ऑनलाइन जारी किया जाएगा। आवेदक को अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी सूचित किया जाएगा।

**11. परिचालन समय**

(1) इन विनियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के संचालन का समय निम्नानुसार होगा:-

**(a) 'श्रेणी-ए' लाइसेंस :-**

(i) पांच सितारा, चार सितारा होटलों (समय-समय पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों और मानकों के अनुसार वर्गीकृत और मान्यता प्राप्त और मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित) के परिसर में संचालित सभी श्रेणी-ए प्रतिष्ठान और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों को पूरे दिन (यानी एक दिन में 24 घंटे) संचालन करने की अनुमति होगी।

नोट: पांच सितारा या चार सितारा होटलों में शराब परोसने वाले एक से अधिक भोजनालयों को पूरे दिन के लिए संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते प्रत्येक भोजनालय ने इन विनियमों के तहत एक अलग लाइसेंस प्राप्त किया हो।

(ii) तीन सितारा होटलों (समय-समय पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों और मानकों के अनुसार वर्गीकृत और मान्यता प्राप्त और मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित) के परिसर में संचालित सभी श्रेणी-ए प्रतिष्ठानों को 02:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे पूर्वाह्न को छोड़कर, पूरे दिन के लिए (यानी एक दिन में 21घंटे) संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) उपरोक्त (aa)(i) और (ii) में उल्लिखित के अलावा सभी 'श्रेणी ए' प्रतिष्ठानों को पूरे दिन 01:00 पूर्वाह्न से 05:00 पूर्वाह्न तक को छोड़कर, (यानी एक दिन में 20 घंटे) काम करने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) उपरोक्त (aa) (iiii) और (iii) में उल्लिखित परिसर में बंद होने के समय से पहले यदि कोई खाने-पीने की वस्तु या पेय परोसा गया है, तो लाइसेंसधारी, ग्राहक को परोसी गई वस्तुओं के तुरंत उपभोग करने हेतु अधिक से अधिक 15 अतिरिक्त मिनट के लिए ईटिंग हाउस को खुला रख सकता है।

**(b) 'श्रेणी-बी' लाइसेंस :-**

सभी लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग और लॉजिंग हाउस या आवासीय छात्रावास को24 घंटे काम करने की अनुमति होगी।

पुलिस आयुक्त, दिल्ली या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अलग-अलग परिचालन समय को अधिसूचित कर सकता है:

(a) गणतंत्र दिवस।

(b) स्वतंत्रता दिवस।

(c) गांधी जयंती।

(d) किसी अन्य दिन, सरकारी एजेंसियों द्वारा घोषित।

(e) विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं वाले किसी अन्य दिन;

(f) उपरोक्त उप-विनियम (1) में निर्धारित समय से कम समय में किसी भी स्थान को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से खोलने की अनुमति देना

12. अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा लिखित में नामित कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अनुज्ञप्ति परिसर में संचालन के घंटों के दौरान उपलब्ध रहेगा।

13. प्रत्येक व्यक्ति जिसे इन विनियमों के तहत वैध लाइसेंस प्रदान किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति लाइसेंस परिसर के एक प्रमुख स्थान पर सदैव प्रदर्शित करेगा, जब तक कि पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विशेष रूप से लिखित रूप में छूट नहीं दी जाती है।

14. सार्वजनिक मनोरंजन के प्रत्येक स्थान पर तत्काल प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।

15. (1) सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को चलाने के लिए इन विनियमों के तहत दिया गया एक लाइसेंस हस्तांतरणीय या समनुदेशित नहीं होगा और केवल उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए होगा जिन्हें यह प्रदान किया गया है। यदि कोई लाइसेंसधारी अपने व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित करता है या सौंपता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक समझौता करता है, जिसमें उसके व्यवसाय का संचालन या नियंत्रण को छोड़ना शामिल है, तो उसे दिया गया लाइसेंस इस तरह के लेनदेन की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

(2) तथापि, लाइसेंसधारी की मृत्यु के मामले में, उसका वारिस या कानूनी प्रतिनिधि लाइसेंस धारी की मृत्यु की तिथि से एक महीने के भीतर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंस का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी इन विनियमों के प्रावधानों के तहत आवेदन पर निर्णय ले सकता है।

16. सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठान के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेगा या मनोरंजन के उद्देश्य से अपने परिसर का उपयोग नहीं करेगा जो लाइसेंस के अनुसार अधिकृत नहीं है। यदि लाइसेंसधारी जगह का नाम बदलना चाहता है या गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से किसी अन्य प्रकार की मनोरंजन सेवाएं प्रदान करना चाहता है, तो लाइसेंसधारी पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी के समक्ष मौजूदा लाइसेंस पर नए सिरे से नए नाम को पृष्ठांकन करने हेतु आवेदन करेगा।

17. सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस स्थान पर या उस पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा और किसी भी गड़बड़ी या दुर्घटना की स्थिति में मानव जीवन या अंग को चोट लगने या खतरे की स्थिति में, तत्काल इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को देगा।

18. सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों (सिनेमा के अलावा) और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए प्रदर्शन को लाइसेंस देने और नियंत्रित करने के विनियमों के अलावा किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं देगा या किसी भी संगीत को चलाने की अनुमति नहीं देगा।

19. यदि सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान चलाने वाला कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने व्यापार के उद्देश्य से वेश्यावृत्ति की अनुमति देता है या कुख्यात बुरे चरित्र वाले व्यक्ति ऐसे स्थान पर मिलते हैं या रहते हैं या किसी अवैध गतिविधि में शामिल होते हैं या अनुमति देते हैं, तो पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को इस संबंध में किसी भी समय इन विनियमों के तहत दिए गए लाइसेंस को रद्द करने या उसे निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित करने की शक्ति होगी। जिस व्यक्ति को इस तरह के निर्देश पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं, वह तुरंत ऐसे निर्देश का पालन करेगा।

20. लॉजिंग हाउस के लाइसेंसधारी निर्धारित प्रारूप में लॉजर्स के विवरण को ऑफलाइन/ऑनलाइन मोड (अनुलग्नक-3 के अनुसार) में दर्ज करेंगे और बनाए रखेंगे। लाइसेंसधारी जांच के लिए ऐसे ऑफलाइन/ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करेंगे। आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी पुलिस अधिकारी/जाँच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर लाइसेंसधारी ऐसे ऑफलाइन/ऑनलाइन डेटाबेस को उपलब्ध कराएंगे।

21. सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान का संचालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय या व्यवसाय को ऐसे स्थान पर व्यवस्थित तरीके से संचालित करेगा।

22. सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान का संचालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में प्रवेश करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को हर समय ऐसे स्थान पर सुलभ पहुंच की अनुमति देगा।

23. प्रत्येक लाइसेंसधारी, जैसे ही वह सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान को बंद कर देता है, जिसके संबंध में इन विनियमों के तहत लाइसेंस दिया गया है तो इसकी सूचना पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को तुरंत प्रभाव से देगा ताकि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

24. (1) अस्वीकृति, रद्द करना और निलंबन

(i) लाइसेंस की अस्वीकृति:- पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के पास सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान को चलाने के लिए लाइसेंस देने से मना करने का विवेकाधिकार होगा यदि प्रस्तावित जगह इन विनियमों में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(ii) नवीनीकरण की अस्वीकृति:- पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, लाईसेंस को नवीनीकरण करने से इंकार कर सकते हैं यदि पंजीकृत लाइसेंस धारक ने झूठा वचनबद्ध प्रस्तुत किया है या पंजीकृत परिसर में पंजीकरण लाइसेंस के नियमों व शर्तो का उल्लघंन हुआ है और इस बारे में संबंधित स्थानीय पुलिस की लिखित रिपोर्ट, जिसमें पंजीकृत लाइसेंस लेने वाले को लाइसेंस रखने हेतु अयोग्य करार दिया गया हो। लाइसेंस प्राधिकारी लिखित में ऐसा आदेश देकर लाइसेंस या उनके संचालन को स्थायी अथवा अस्थायी रूप में रद्द या निलंबित कर सकता है।

(iii) रद्द करना और निलंबन :-

(ए) यातायात को विनियमित करने और सार्वजनिक स्थानों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए, पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अन्य अधिकारी के पास इन विनियमों के तहत दिए गए लाइसेंस को किसी भी समय रद्द करने या ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने, जो वह निर्दिष्ट कर सकता है और लाइसेंस धारक को ईटिंग हाउस को स्थायी या अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश देने की शक्ति होगी।

(बी) यदि पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है और उचित समझता है कि लाइसेंसधारी, लाइसेंस जारी रखने या किसी बाधा, असुविधा को रोकने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है या आसपास के क्षेत्र में या ऐसे स्थान में गड़बड़ी को रोकने के लिए किसी भी समय इन विनियमों के तहत दिए गए लाइसेंस को रद्द करने या ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने की शक्ति होगी जो वह निर्दिष्ट कर सकता है और लाइसेंसधारी को स्थायी या अस्थायी रूप से जगह बंद करने का निर्देश दे सकता है।

(सी) यदि पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के किसी भी नियम/शर्त का उल्लंघन किया है, तो इन विनियमों के तहत दिए गए लाइसेंस को रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति होगी, ऐसी अवधि के लिए जो वह निर्दिष्ट कर सकता है और लाइसेंसधारी को स्थान को स्थायी या अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दे सकता है।

(2) इन विनियमों के तहत दिया गया कोई भी लाइसेंस तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइसेंसधारक को कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता कि उसका लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए।

बशर्ते कि कारण दिखाने के लिए ऐसा कोई अवसर आवश्यक नहीं होगा जब लाइसेंस अस्थायी रूप से इन नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए लाइसेंस धारक के खिलाफ जांच लंबित हो या लाइसेंस की शर्तों में से किसी के तहत किए गए किसी भी आदेश के उल्लंघन के लिए निलंबित किया गया हो।

**25. अन्य एजेंसियों द्वारा निलंबन/निरस्तीकरण/रद्द करना/संचालन पर रोक/ अभियोजन -**

अन्य एजेंसियों द्वारा संबंधित कानूनों के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी भी उल्लंघन पर निलंबन/निरस्तीकरण/रद्द करना /संचालन पर रोक/ अभियोजन जैसी कार्रवाई उनके द्वारा लागू उनसे संबंधित अधिनियमों/नियमों/ विनियमों के अनुसार की जाएगी। संबंधित एजेंसियां अपने संबंधित अधिनियमों/ नियमों/विनियमों के अनुसार ऐसे निलंबन/निरस्तीकरण/रद्द करना /संचालन पर रोक/अभियोजन आदेशों के निष्पादन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।

**26. निर्देश जारी करने की शक्ति -**

पुलिस आयुक्त/लाइसेंसिंग प्राधिकारी समय-समय पर लाइसेंस धारी द्वारा अनुपालन के लिए संचालन सम्बन्धी निर्देश/शर्तें जारी करेंगे।

**27. शुल्क**

श्रेणी 'ए' और 'बी' में आने वाले लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के लिए लाइसेंस देने और नवीनीकरण के लिए लाइसेंस शुल्क समय-समय पर दिल्ली के प्रशासक/उप राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से पुलिस आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

**28. अपील-**

(1) लाइसेंस की अनुमति ना मिलने/आवेदन निरस्त होने की स्थिति में आवेदक, निरस्तीकरण आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली को अपील कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) या विनियम 24, जैसा भी मामला हो, के तहत पुलिस आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस तरह के आदेश के संप्रेषण की तिथि से 30 दिनों के भीतर, प्रशासक/उप-राज्यपाल, दिल्ली को अपील कर सकता है।

**29. विनियमों की समीक्षा**

**बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप लाने के लिए, इन विनियमों की समय-समय पर और कम से कम दो वर्षों में एक बार समीक्षा की जाएगी।**

**30. निरस्तीकरण एवं संग्रह:-** (1) जिस तिथि को ये विनियम लागू होते हैं ,उसके तत्काल प्रभाव से 20 जून,1980 को जारी अधिसूचना निरस्त हो जाएगी।

(2) ऐसे किसी भी निरस्तीकरण के बावजूद, यदि ऐसा कुछ भी किया जाता है या कोई कार्रवाई की जाती है या किया जाना माना जाता है या उप विनियम (1) द्वारा निरस्त अधिसूचना के तहत कोई लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जहाँ तक ये इन विनियमों या दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के असंगत नहीं हैं, तो इसे इन विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया, लिया या प्रदत्त किया गया माना जाएगा।

**अधिक्रमण खंड :-** यह अधिसूचना 19 दिसंबर, 1980 को जारी की गई पिछली अधिसूचना संख्या 4453 विशेष प्रकोष्ठ की जगह विस्थापित की जाती है।

[फा. सं. 14014/01/2023-UTP (E-3627231)]

संजय अरोरा, भा.पु.से. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**(UTP Section )**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2023

**No. 161 /Joint CP/Licensing (EDP) dated New Delhi the 08.04.2023**

**G.S.R. 284(E).—**Whereas the undersigned considers it expedient that Regulations should be framed for Keeping Places of Public Entertainment in the National Capital Territory of Delhi.

Now, therefore, the undersigned with the previous sanction of the Administrator/Lieutenant Governor of Delhi, and in exercise of the powers conferred by clauses (x) and (zb) of sub-section (1) of section 28 of Delhi Police Act, 1978 do hereby makes the following regulations:-

**REGULATIONS**

1. **Short title**- These regulations shall be called "Regulations for Keeping Places of Public Entertainment in the National Capital Territory of Delhi ".

2. **Commencement-**These Regulations shall come into force from the date of their Publication in the Gazette of India.

3. **Applicability-** These Regulations shall apply to the Places of Public Entertainment in the National Capital Territory of Delhi.

4. **Definitions –**

(i) **Commissioner** means the Commissioner of Police of National Capital Territory of Delhi, as defined in the Delhi Police Act, 1978.

(ii) "**Place of Public Entertainment**" means a lodging house, boarding & lodging house or residential hostel and includes any eating house or other place in which any kind of liquor etc (such as a tavern or a shop where beer, spirit, etc. is supplied) to the public for consumption in or near such place, as defined under clause (l) of section2 of the Delhi Police Act, 1978.

(iii) '**Suitable Person**' means a person who:

**(a)** competent to execute a valid contract and

**(b)** possesses requisite skill and resources, and

(c) has clear antecedents to be certified through Police Clearance Certificate (PCC) issued by (A) Delhi Police through PCC portal in case applicant is a resident of Delhi or (B) concerned state/UT authority in case applicant is a resident of outside Delhi and

(d) otherwise not an unsuitable person and has capacity to organize the performance of Public Entertainment.

(iv) '**Fit Locality**' means the place where the performance or Public Entertainment shall be arranged without causing any disturbance or threat to peace and tranquility of the area and around it,

(v) '**Fit Place**' means a place spacious enough to hold the means of entertainment, having facilities of parking ( as per applicable policy) and arrangement for keeping the place hygienically clean, which does not obstruct normal flow of traffic or cause risk, danger, damage or annoyance to the residents of the locality.

(vi) Licensing Authority: means the Commissioner of Police or any other officer so designated by the Commissioner of Police.

5. **Classification of Places of Public Entertainment-** All Places of Public Entertainment shall, for the purpose of these Regulations be classified as under-

(a) Class 'A'. -These shall comprise of every Place of Public Entertainment in which liquor, tari or any intoxicating items ( by whatever name) are sold, as defined in the Delhi Excise Act, 2009, for consumption in or near such place.

(b) Class 'B' - These shall comprise of every place of Public Entertainment not covered in class 'A'.

**6. Obtaining of License-**

(1) No person shall open or keep Place of Public Entertainment of Class 'A' or Class 'B' without having previously obtained License in this behalf from Licensing Authority.

(2) The applicant shall apply for class 'A' or class 'B' Licence, as the case may be, to keep a Place of Public Entertainment in the Unified Portal of Ministry of Home Affairs,Government oIndia.

The License shall be granted as per Regulation 7to 9 subject to grant of valid Excise License by Excise Department. The applicant shall upload the Excise License on Unified Portal within seven days of the grant of Excise License.

**7. Suitability of Licensee and proposed premises of License-**

(1) Every person applying for a License to open or keep a Place of Public Entertainment shall upload all the required documents mentioned in the Unified Portal of the Ministry of Home Affairs, Government. of India. The Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf shall ensure and assess that the applicant and the proposed premises for License also fulfills following:-

(i) The applicant is suitable,

(ii) The locality where such place of entertainment is to be opened is fit for the purpose proposed.

(iii) The place proposed to be used as a place of public entertainment is fit for the purpose for which it is proposed to be used,

(2) It shall be a condition of every License that the above provisions of sub-rule (1) in respect of the licensed premises are maintained throughout during the period of validity of the License.

**8. Application for the Grant of License-**

(1) Every person applying for a License to keep a Place of Public Entertainment shall furnish particulars in the online application form available on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government. of India.

(2) A non-refundable application fee as specified in Regulation 27 shall be deposited by the applicant at the time of submission of application.

(3) **For processing the application for grant of License under Class-A, following documents shall be required:-**

**(a) Primary Documents (To be obtained by Licensing Division)**

(i) Health Trade License issued by the Municipal/Local Authorities.
(ii) Area Suitability Reports from Local Police and Traffic.

**(b) Secondary Documents (to be uploaded by the applicant on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs)**

(i) Proof Card/PAN/Passport/Driving License).

(ii) Proof of Address of applicant (Aadhar Card/Voter ID Card/Passport/Electricity Bill/Landline Telephone Bill/Rent Agreement/Lease Deed Agreement/Property Ownership document).

(iii) Invoice of installation of CCTV with 30 days recording facility and valid Annual Maintenance Contract (AMC).

(iv) Authorization certificate in case of Partnership firm or Resolution of Board of Directors in case of Private Ltd or Public Ltd Company, in favour of the applicant.

(v) Certificate of incorporation in case of company and Partnership Deed in case of Partnership firm.

(vi) In case the applicant is a resident of Delhi, Police Clearance Certificate (PCC) issued by Delhi Police through PCC portal.

In case the applicant is from resident of outside Delhi, then Police Clearance Certificate (PCC) issued by concerned State/UT Authority.

(vii) Proof of ownership/tenancy of the premises.
(viii) Valid liquor license (to be uploaded within seven days of grant of License by Excise Department).
(ix) An undertaking by the applicant in Form-1.

**(4) For processing the application for grant of License for Lodging Houses Class-B, following documents shall be required:-**

**(a) Primary Documents (To be obtained by Licensing Division)**

(i) Health Trade License issued by the Municipal/Local Authorities.
(ii) Area Suitability Reports from Local Police and Traffic.

**(b) Secondary Documents (to be uploaded by the applicant on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs)**

(i) Proof of Identity of applicant (Aadhar card/Voter ID Card/PAN/ Passport/Driving License).

(ii) Proof of Address of applicant (Aadhar card/Voter ID Card/Passport/Electricity Bill/Landline Telephone Bill/Rent Agreement/Lease Deed Agreement/Property Ownership document).

(iii) Invoice of installation of CCTV with 30 days recording facility and valid Annual Maintenance Contract (AMC).

(iv) Authorization certificate in case of Partnership firm or Resolution of Board of Directors in case of Private Ltd or Public Ltd Company, in favour of the applicant.

(v) Certificate of incorporation in case of company and Partnership Deed in case of Partnership firm.

(vi) In case the applicant is a resident of Delhi, Police Clearance Certificate (PCC) issued by Delhi Police through PCC portal.

In case the applicant is from resident of outside Delhi, then Police Clearance Certificate (PCC) issued by concerned State/UT Authority.

(vii) Proof of ownership/tenancy of the premises.

(viii) Valid liquor license (to be uploaded within seven days of grant of License by Excise Department).

(ix) An undertaking by the applicant in Form-1.

**(c) License shall be issued by the Licensing Authority through Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government ofIndia within a within a period of nine days of issuance of Health Trade License, in the name of the Applicant, or in the name of Partnership Firm or Company, as the case may be, on behalf of which the Applicant has applied.**

**(d)** The Licensing Authority shall have the discretion to inspect the premises either before or after the grant of the License. The Licensing Authority may authorize any of his subordinate police officer not below the rank of Head Constable to undertake such inspection.

**(e)** The Certificates/No Objection Certificates /compliances(whereverapplicable)withrespecttoFireSafety,Environmentalnorms,StructuralandElectricalSafety,DisasterManagement(includingpandemic), other safety aspects, or otherwise as required in respective laws, shall be governed by the respective Agencies asper the extant laws, rules and/or bye-laws

**9. Renewal of License:-**

(1) Every application for renewal of license under these Regulations shall be made online at least three months before the day on which License is to expire through the application form available on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India.

(2) **For processing the application for Renewal of License under Class-A, following documents shall be required:-**

(a) Primary Documents (To be obtained by Licensing Division)

(i) Health Trade License issued by the Municipal/Local Authorities.
(ii) Area Suitability Reports from Local Police and Traffic.

(b) Secondary Documents

The Licensee shall upload an undertaking as per Form-1 (Annexure-1) on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India.

(3) **For processing the application for Renewal of License for Lodging Houses (Class-B), following documents shall be required:-**

**(a) Primary Documents (To be obtained by Licensing Division)**

(i) Health Trade License issued by the Municipal/Local Authorities.
(ii) Area Suitability Reports from Local Police and Traffic.

**(b) Secondary Documents**

The Licensee shall upload an undertaking as per Form-2 (Annexure-2) on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs.

(4) License shall be renewed in the name of the person as reflected in Health Trade License issued by Municipal/Local Authorities.

(5) The Certificates/NOCs/Compliances (Wherever applicable) with respect to Fire Safety, Environmental norms, Structural and Electrical Safety, Disaster Management(including pandemic) and other safety aspects shall be governed by the respective agencies as per the extant laws, rules and/or bye-laws.

(6) **Validity of License:-** A License for the keeping of a Place of Public Entertainment shall be valid for a maximum period of three years, at a time, and shall expire on 31$^{st}$ March of the third year if not renewed earlier.

(7) **Duplicate copy of the Lodging License**:-If a Lodging License is lost or destroyed, the Applicant may download a copy of the License from the Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India.

**10. Conditions for issue of License**–

(a) Every Licensee shall comply with the conditions of the License and directions that may be issued by the Commissioner of Police and /or the Licensing Authority from time to time.

(8) (b)The License would be issued online in digital form through Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India along-with prescribed conditions. The applicant will also be informed through other electronic means.

**11. Operational Timings**

(1) The operational timings for Places of Public Entertainment licensed under these Regulations shall be as follows:-

**(a) 'Class-A' License:-**

(i) All Class A Establishments operating in the premises of five star, four star hotels (classified and accredited as per the norms and standards of Ministry of Tourism, Government. of India from time to time and displayed on the official website of the Ministry) and establishments operating within the premises of Airports shall be permitted to operate for whole day ( i.e 24 hours in a day).

**Illustration: More than one eating house serving liquor will be allowed to operate for whole day in a five star or four star hotel, provided each eating house has obtained a separate license under these regulation.**

(ii) All Class A Establishments operating in the premises of three star hotels (classified and accredited as per the norms and standards of Ministry of Tourism, Government. of India from time to time and displayed on the official website of the Ministry), shall be permitted to operate for whole day,except from 02:00 AM to 0500 AM (i.e 21 hours in a day)

(iii) All Class A Establishments other than those mentioned in (a)(i ) and a(ii) above shall be permitted to operate for whole day, except from 01:00 AM to 0500 AM (i.e 20 hours in a day).

(iv) If any customer has been served in the Place of Public Entertainment of 'Class-A' with any eatables or a drink before the closing hour in the premises mentioned in (a) (ii ) and a(iii), the licensee may keep the place open for a period not exceeding a quarter of an hour immediately following the closing hour to enable the customer to consume the articles already served to him.

**(b) 'Class-B' License**:-

All Lodging Houses, boarding & lodging houses or residential hostels shall be permitted to operate for 24 hours.

The Commissioner of Police, Delhi or any other officer authorized by him in this behalf, may notify separate operation timings on:

(a) Republic Day.

(b) Independence Day.

(c) Gandhi Jayanti.

(d) Any other day, so declared by Government Agencies.

(e) Any other day having specific security requirements;

(f) Permitting any place to be opened at such hours shorter than the timings prescribed in sub-regulation (1) above, for reasons to be recorded in writing

**12.** Licensee or any responsible person nominated by him in writing shall be available in the licensed premises during operational hours.

**13.** Every person who has been granted a valid License under these Regulations shall display the copy of the license issued by the Competent Authority at a prominent place of the licensed premises, unless specially exempted in writing by the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf.

**14.** There shall be First Aid facility readily available at every Place of Public Entertainment.

**15.** (1) A License granted under these Regulations for the keeping of Places of Public Entertainment shall not be transferable or assignable but shall be personal for the benefit of the persons only to whom it is granted. If a Licensee transfers or assigns his business to any other person or enters into an agreement with another person, involving his giving up the conduct or control over the business, the license granted to him shall stand terminated from the date of such transaction.

(2) However, in the case of death of the licensee, his heir or legal representative may make an application online within one month from the date of death of the licensee through Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India, to the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf, to have the benefit of the license for the remaining term of the License and the Commissioner or any other officer authorized by him in this behalf may decide the application having regard to the provisions of these Regulation.

**16.** No person who holds a License to keep a Place of Public Entertainment shall make any change in the name of establishment or use his premises for the purpose of an entertainment which is not authorized as per License granted. If the Licensee desires to change the name of the establishment or provide any other kind of entertainment services, through Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India,the Licensee shall apply for fresh endorsement on the existing License before Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf.

**17.** Every person keeping a Place of Public Entertainment shall take sufficient steps to prevent overcrowding in or at such place and in the event of any disturbance or accident involving injury to human life or limb happening therein or threat, shall give immediate information of the same to the Delhi Police.

**18.** No person keeping a Place of Public Entertainment shall permit any performance or allow any music to be played in such place except in accordance with the Regulations for Licensing and Controlling Places of Public Amusement(other than Cinema) and Performance for Public Amusement.

**19.** If any person keeping a Place of Public Entertainment knowingly permits prostitution for the purpose of their trade or persons of notoriously bad character to meet or remain in such place or indulges or permits any illegal activity, the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf shall have the power in his discretion at any time to cancel a license granted under these Regulation or to suspend it for such period as he may specify. The person to whom such directions have been issued by the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf shall forthwith comply with such direction.

**20.** The Licensees of the Lodging Houses shall enter and maintain the details of the Lodgers in the prescribed format in offline/online mode (as per Annexure-3). The Licensees shall provide access to such offline/online database for scrutiny and make available documents if required, by any police officer in the discharge of official duties.

**21.** Every person keeping a Place of Public Entertainment shall conduct his or her occupation or business in such place in an orderly manner.

**22.** Every person keeping a Place of Public Entertainment shall at all times allow free access to such place to any police officer entering the same in the discharge of his official duty.

**23.** Every Licensee shall, as soon as he closes or ceases to keep a Place of Public Entertainment in respect of which a license has been granted under these Regulations and give intimation thereof to the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf for further necessary action by the Licensing Authority.

**24.** (1) **Refusal, Cancellation and Suspension**

(i) **Refusal for Grant**:- The Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf shall have discretion to refuse license for the keeping of a Place of Public Entertainment if such place does not fulfill the requirements as mentioned in these Regulation.

(ii) **Refusal for Renewal**:- The Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf may refuse to renew the License, if the Licensee has submitted a false undertaking or the licensed premises has violated the terms and conditions of the License duly communicated to the Licensing Authority in writing by the area Local Police, making him unsuitable to hold the License. The Licensing Authority may cancel or suspend the License and its operation either permanently or temporarily by giving such an order in writing.

(iii) **Cancellation and Suspension**:-

(a) In case of regulating traffic and for preservation of order in public places etc, the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf shall have the power in his discretion at any time to cancel a License granted under these Regulations or to suspend for such period as he may specify and to direct the License holder to close the Eating House either permanently or temporarily.

(b) If the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf is satisfied after such enquiry as he deems fit that the licensee is not a suitable person for continuing to hold the license or in order to prevent any obstruction, inconvenience in the vicinity or to prevent disturbance in such place shall have the power at any time to cancel a license granted under these Regulations or to suspend for such period as he may specify and to direct the Licensee to close the place either permanently or temporarily.

(c) If the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf is satisfied that Licensee has violated any term/condition of the License, shall have the power at any time to cancel a

license granted under these Regulations or to suspend for such period as he may specify and to direct the Licensee to close the place either permanently or temporarily.

(2) No License granted under these Regulations shall be cancelled until the holder of a License has been given a reasonable opportunity of showing cause why his license should not be cancelled.

Provided that no such opportunity for showing cause shall be necessary when the license is suspended temporarily pending an enquiry against the holder of the license for contravention of any of these Regulations or any order made there under or of any of the conditions of the License granted to him.

**25. Suspension/Cancellation/Revocation/Cessation of operations/ Prosecution by other agencies**–

Actions like Suspension/Cancellation/Revocation/Cessation of Operations/Prosecution on any violation of license/No Objection certificate granted under relevant statutes by other agencies shall be taken by them as per their respective Acts/Rules/Regulations applicable. The concerned agencies shall be solely responsible for execution of such Suspension/ Cancellation/ Revocation/Cessation of Operations/ Prosecution orders as per their respective Acts/Rules/Regulations.

**26. Power to issue directions** –

The Commissioner of Police/Licensing Authority shall issue directions/conditions from time to time for operational reasons to be complied with by the Licensee.

**27. Fees-**

The License fee for grant and renewal for different categories of Licenses falling in Class 'A' & 'B' shall be as specified by the Commissioner of Police, with prior approval of Administrator /Lieutenant Governor of Delhi from time to time.

**28. Appeal**-

(1) Any person, aggrieved by an order of Licensing Authority made under these Regulations, refusing to grant or renew license or cancelling a license or suspending a license under the provisions of these Regulations, may, within 30 days from the date of communication of such order to him, make an appeal to the Commissioner of Police, Delhi.

(2) Any person, aggrieved by an order of the Commissioner of Police under sub-regulation (1) or Regulation 24, as the case may be, may within 30 days from the date of communication to him of such order, prefer appeal to the Administrator / Lieutenant Governor, Delhi.

29. **Review of Regulations :-**

In order to bring them in conformity with the changed circumstances, these Regulations shall be reviewed from time to time and at-least once in two years.

**30. Repeal and Savings**:- (1) Immediately with effect from the date on which these Regulations come into force, the Notifications issued on 20th June, 1980 and 20th December, 2007 shall stand repealed.

(2) Notwithstanding any such repeal, anything done or any action taken or purported to have been taken or any license granted, under the notifications repealed by sub-regulation (1), shall, in so far as these are not inconsistent with these Regulations or the Delhi Police Act, 1978, be deemed to have been done, taken or granted under the corresponding provisions of these Regulations.

**Supersession Clause**:-This Notification supersedes the previous Notification N.4453 Special Cell issued on 19th December, 1980.

[F. No. 14014/01/2023-UTP (E-3627231)]

SANJAY ARORA, IPS Commissioner of Police

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA